सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 103 राँची, गुरुवार, 7 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

5 फरवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-217/2014- 447 (HRMS)-- श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक- 1774/गो०, दिनांक 12 दिसम्बर, 2009 एवं पत्रांक-215/गो०, दिनांक 24 फ़रवरी, 2010 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर इनके विरूद्ध विभाग स्तर से प्रपत्र-'क' का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री बारला के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1- दिनांक 01 फ़रवरी, 2010 से 14 फ़रवरी, 2010 तक जिले के सभी पंचायतो बी०पी०एल० सर्वेक्षण का कार्य प्रखण्ड विकास द्वारा कराया जा रहा है। जिसके पर्यवेक्षण अनुश्रवण की विभागीय जिम्मेवारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में आपको भी दी गई है। परन्तु आपके द्वारा न तो कोई क्षेत्र भ्रमण किया गया और न कोई पर्यवेक्षण और अनुश्रवण की गई है। आपके द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को न तो कोई निर्देश दी गई और न ही कोई प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आपका यह कृत्य सरकारी आदेशों की अवहेलना है तथा कर्तव्यों एवं दायित्वों की अनदेखी है। यह आपका गरीबों के प्रति संवेदनहीनता को भी दर्शाता है।

आरोप सं०-2- आपके द्वारा चतरा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को गणतंत्र दिवस पर दिनांक 26 जनवरी, 2010 को अपने घर पर सरकारी कार्य से बुलाया गया तथा उनके साथ गाली गलौज एवं मार-पीट किया गया। इस संबंध में श्री चौरसिया आपूर्ति निरीक्षक का परिवाद पत्र और अराजपत्रित महासंघ, चतरा एवं सभी आपूर्ति निरीक्षक, चतरा से ज्ञापन प्राप्त है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक- 98/गो० दिनांक 28 जनवरी, 2010 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यों से परे है जो स्वीकार्य नहीं है। आपके अनुसार, (क) यह आरोप श्री चौरसिया द्वारा अपनी अक्षमताओं से बचने के लिए लिया गया है। (ख) यह आरोप अपने साथियों विशेषकर श्री रामबहादुर सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक के उकसाने पर किया गया है। (ग) जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के बैठक में गठित जाँच समिति के सदस्य होने के कारण सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत श्री चौरसिया से गलत लिखवाया गया है। विदित हो कि निगरानी समिति की बैठक 04 फ़रवरी, 2010 को सम्पन्न हुई थी। जबकि श्री चौरसिया द्वारा इनके विरूद्ध परिवाद 27 जनवरी, 2010 को दिया गया है। (घ) सिमरिया सेल्स के सत्यापन के लिए प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक से स्पष्टीकरण उपायुक्त, चतरा द्वारा नहीं पूछा गया। इससे एम०ओ० के बीच अनुशासनहीनता को बल मिल गया। इनका यह तर्कहीन तथ्य झूठा है, एवं नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध इनकी कार्यप्रणाली एवं मानसिकता को दर्शाता है।

आरोप सं०-3- किरासन तेल के उठाव एवं वितरण कार्य का नियमित रूप से सत्यापन करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विभागीय आदेश पत्रांक- 1021 दिनांक 19 मई, 2006 द्वारा निर्गत है परंतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के दायित्व अन्तर्गत किरासन तेल में स्टॉक में उठाव वितरण कार्य के निरीक्षक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नहीं करने का आरोप अपर समाहर्त्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में लगाया गया है। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन 240/गो० दिनांक 04 सितम्बर, 2009 में भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा टैकर जांच नहीं करने का स्पष्ट आरोप लगाया गया।

आरोप सं०-4- अनुश्रवण समिति के बैठक में माननीय सांसद के अनुरोध पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति से संबंधित जाँच के लिए बनायी गयी समिति में सदस्य के रूप में रखे जाने के निर्णय लिया गया था। परन्तु कार्यवाही अभी अनुमोदन भी नहीं हुआ है तथा समिति गठन का आदेश भी निर्गत नहीं हुए है, परन्तु आपके द्वारा बदले के भावना से स्वयं से जाँच प्रतिवेदन सीधे सांसद महोदय को संबोधित किया गया। जबकि माननीय सांसद/विधायक/पार्टी के नेताओं से सीधे पत्राचार करना सरकारी नियमानुसार वर्जित है। समिति के अध्यक्ष से जाँच की अनुमति अथवा प्रतिवेदन पर सहमति भी प्राप्त नही की गयी। पुनः उनके कार्यशैली का हद तो तब हो गया कि उसकी सूचना मात्र उपायुक्त को ज्ञापांक 42/आ दिनांक 06 फ़रवरी, 2010 से दी गई तथा जाँच प्रतिवेदन में वरीय पदाधिकारी पर मनगढंत आरोप लगाते हुए सी०बी०आई० से जाँच कराने की अनुशंसा की गई।

आरोप सं०-5- दिनांक 08 फ़रवरी, 2010 को आहूत आपूर्ति विभाग की उपायुक्त स्तर की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित थे, जिसके कारण बी०पी०एल० सर्वेक्षण, किरासन तेल उठाव, अन्नपूर्णा, अन्त्योदय एवं वितरण आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। अपने अनुपस्थिति

के संबंध में उनके द्वारा कोई सूचना भी नहीं दी गई और अलबत्ता उस दिन उपायुक्त के बैठक की उपेक्षा कर नगरपालिका के बैठक में भाग ले रहे थे। जो प्रकाशित समाचार पत्र के फोटो से पता चला। यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैया एवं विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही का प्रमाण है।

आरोप सं०-6- श्री बारला द्वारा जिलें में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सरकारी तंत्र एवं वरीय पदाधिकारी के विरूद्ध गलत बयानबाजी एवं आरोप लगाया जाता है। श्री बारला द्वारा बिना वरीय पदाधिकारी के आदेश के अखबार में गलत मानसिकता से ग्रसित होकर कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के भयादोहन हेतु बयानबाजी की जा रही है, जबकि सरकारी नियमानुसार बिना अनुमति के बयान देने के लिए वे प्राधिकृत नहीं है।

आरोप सं०-7- जिला अध्यक्ष, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से 29 दिसम्बर, 2009 के तिथि में परिवाद पत्र प्राप्त होने के बावजूद पुनः उस पर एक माह बाद संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना तथा परिवादी से साक्ष्य मांगना यह दर्शाता है कि वे राजनीतिक संबंध स्थापित कर कर्मचारियों का शोषण करते है, अथवा गलत मानसिकता से पीड़ित है।

आरोप सं०-8- सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछ कर उन्हें डरा-धमकाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करना, उनकी आदत है। अगर पूर्व में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब उन लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता रहा है तो अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपायुक्त के समक्ष संचिका क्यों नही उपस्थापित की गई। जब चौरसिया ने मारने पीटने की शिकायत की और सब समकक्षीय पदाधिकारी ने नैतिकता के आधार पर साथ दिया तो सबसे स्पष्टीकरण पूछना, यह उनकी कार्य पद्धति का द्योतक है।

आरोप सं०-9- उपायुक्त के आदेश पत्रांक- 77/गो० दिनांक 22 जनवरी, 2010 ''डाढ़ा'' पंचायत के सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानो की जाँच 24- घण्टें के अन्दर करने के आदेश के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा का प्रतिवेदन 28 जनवरी, 2010 को प्राप्त हुआ । पुनः उक्त पत्र में यह उल्लेख करना कि उक्त पत्र को 27 जनवरी, 2010 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा देखा है जिसके कारण विलम्ब हुआ है। परन्तु वस्तुतः इनके द्वारा जाँच 25 जनवरी, 2010 को गणतन्त्र दिवस के पूर्व अपराह्न को लगभग 2:30 बजे किया गया यह स्पष्ट करता है कि वे झूठ लिखे है, जब वे पत्र 27 जनवरी, 2010 को देखते है तथा जाँच 25 जनवरी, 2010 को कैसे किया है। उनके द्वारा किया गया जाँच एक मात्र खानापूर्ति करने वाली बात है। औचक जाँच का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को था परन्तु 11 बजे मोबाईल से आपूर्ति निरीक्षक के माध्यम से सभी दुकानदारों खबर करवा दियें । ऐसे में क्या अनियमितता पकड़ी जा सकती है। पुनः आपूर्ति निरीक्षक के माध्यम से दुकानदारों का गणतंत्र दिवस के दिन भगाने की क्या बात थी, जबकि उन्हें जाँच के समय स्वयं से ही दुकानदारों का रजिस्ट्रर जब्त कर लेना चाहिए था। गणतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व एवं सार्वजनिक छुट्टी के दिन होने के साथ जिला स्तर पर पूरे दिन का कार्यक्रम था, उसमें उपायुक्त के मौखिक आदेशानुसार सभी पदाधिकारी को भागीदारी आवश्यक थी। 26 जनवरी (कार्यक्रम की छायाप्रति संलग्न) को सरकारी कार्य हेतु घर पर अधीनस्थ कर्मचारी को बुलाना उचित नहीं था। घर पर रजिस्ट्रर आदि मंगा कर जाँच करना जाँच के नियम का खुलम-खुला उल्लघंन है। क्योंकि वास्तविक सामाग्री के स्टॉक की उपलब्धता के परिपेक्ष्य में ही जाँच मौके पर किया जा सकता है। यह इनके भ्रष्ट आचरण

का द्योतक है। श्री चौरसिया से मारपीट स्वार्थपूर्ति नहीं होने की अवस्था में इनके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। श्री चौरसिया का उपयोग उनके द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा था। इसी कारण एक तरफ से उस पर गाली-गलौज का आरोप लगाते है तथा दूसरी तरफ यह भी कहते है कि किसी के उकसाने पर श्री चौरसिया द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है।

आरोप सं०-10- जिले के सभी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कृत्यों तंग आकर उनके विरूद्ध परिवाद पत्र के माध्यम से गंम्भीर आरोप लगाये है, जिसमें कुछ प्रथम द्रष्टया सत्य प्रतीत होते है तथापि इसके जाँच के आदेश वरीय पदाधिकारी को दी गई । जिला में आपूर्ति व्यवस्था में उत्पन्न यह स्थिति के लिए श्री बारला के गलत आचरण, व्यवहार एवं हिंसक प्रवृति करण बना हुआ है।

आरोप सं०-11- श्री बारला के द्वारा कर्तव्य एवं दायित्यों के प्रति लापरवाही एवं वरीय तथा कनीय पदाधिकारी के साथ गलत आचरण करने के संबंध में स्पष्टीकरण उनसे पत्रांक-154, दिनांक 09 फ़रवरी, 2010 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा की गई। परन्तु लगभग 10 दिन से ज्यादा बीतने के बावजूद स्पष्टीकरण आजतक अप्राप्त है, जो यह दर्शाता है कि नियम, कानून, शासन, प्रशासन एवं अनुशासन सभी से वे उपर उठ चुके है जिले में कोई उनका नियंत्री पदाधिकारी नही है तथा वे किसी के आदेश एवं निर्देश को मानना उचित नही समझते हैं।

आरोप सं०-12- वरीय पदाधिकारी के आदेश एवं क्रियाकलाप पर अंगुली उठाना तथा उन पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने, भेदभाव करने एवं अन्य आरोप उनके द्वारा सामान्य पत्राचार में भी लगाया जाता रहा है। यह उनके अनुशासनहीनता स्वेच्छाचारित तथा दुर्भावना से ग्रसित होने का प्रमाण है।

आरोप सं०-13- आपूर्ति से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को ससमय नहीं भेजने के संबंध में आप से स्पष्टीकरण की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 953/गो0 दिनांक 18 जुलाई, 2009 की गयी। आपने अपने पत्रांक 215/आ० दिनांक 18 जुलाई, 2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया जो असंतोषप्रद है।

आरोप सं०-14- (क) श्री फिलबियुस बारला, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के रूप में चतरा में पदस्थापित है। आपके द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2009 को एक आवेदन दिया गया जिसमें दिनांक 20 अप्रैल, 2009, 21 अप्रैल, 2009 एवं 22 अप्रैल, 2009 कुल तीन दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 19 अप्रैल, 2009 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई। किन्तु आपने बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड़ दिया। निर्धारित अवधि में आपके मुख्यालय नहीं लौटने पर इस कार्यालय के पत्रांक 508/गो०, दिनांक 24 अप्रैल, 2009 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आपने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिसमें एम०सी०सी० द्वारा बन्दी किये जाने का कारण उल्लेख किया है। (ख) पुनः आपके द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2009 को 13 जुलाई, 2009 के लिए आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन समर्पित किया जिसे अस्वीकृत किया गया क्योंकि बिना पूर्वानुमति के हमेशा आवेदन देकर मुख्यालय छोड़ देते रहे है। (ग) इस कार्यालय के पत्रांक 1173/गो०, दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा श्री बारला, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा को दिनांक 25 अगस्त, 2009 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में आपूर्ति संबंधी कार्यो की समीक्षा हेतु पत्र निर्गत किया गया। जब अनुसेवक आपको पत्र तामिला करने आपके निवास पर गया तो आप उपलब्ध नहीं थे। पुनः

उक्त अनुसेवक दिनांक 25 अगस्त, 2009 को तामिला हेतु गया, फिर भी आप आवास से अनुपस्थित थे। इस संबंध में आपसे इस कार्यालय के पत्रांक 1201/गो०, दिनांक 26 अगस्त, 2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आपने अपने पत्रांक-332/आ० दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जो संतोषप्रद नहीं है। (घ) पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1232/गो० दिनांक 29 अगस्त, 2009 द्वारा अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 30 अगस्त, 2009 को संध्या 7:30 अपराह्न बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आहूत की गयी। जब अनुसेवक द्वारा उक्त पत्र को तामिला हेतु आपके आवास पर गया तो आप आवास पर नहीं मिले। दिनांक 30 जून, 2009 को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण आपसे इस कार्यालय के पत्रांक 1240/गो०, दिनांक 31 अगस्त, 2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आपने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-338, दिनांक 02.09.2009) समर्पित किया जो तथ्य से परे है। (ङ) श्री बारला ने इस वित्तीय वर्ष 2009-10 के पूर्व में ही 18 जून, 2009 तक देय 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर लिया । अब इनको कोई आकस्मिक अवकाश देय नहीं है। फिर भी श्री बारला ने अपने पत्रांक-343, दिनांक 04 सितम्बर, 2009 द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2009 से 07 सितम्बर, 2009 तक दो दिनों का अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र दिया तथा प्रत्येक रविवार को मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति मांगी। आपने अपने पत्रांक-02/रांची दिनांक 29 सितम्बर, 2009 को एक फैक्स भेजा, जिसमें आपने 04 अक्टूबर, 2009 तक अवकाश का अवधि विस्तार हेतु आवेदन दिया है, किन्तु आपका आवेदन अप्राप्त है। तथा आप दिनांक 15 सितम्बर, 2009 लगातार अनुपस्थित है। बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित नहीं रहने हेतु कई बार आपकों मौखिक निदेश दिया गया, किन्तु इस निदेश का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा लगातार आपके द्वारा अवहेलना की गई।

आरोप सं०-15- श्री बारला की उक्त वर्णित अनाधिकृत अनुपस्थिति के फलस्वरूप इनके द्वारा जन वितरण प्रणाली की दूकानों का समय पर निरीक्षण नहीं किया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करने के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया । किरासन तेल उठाव का सत्यापन नहीं किए जाने के कारण जिले में किरासन तेल की कालाबाजारी की संभावना प्रबल रही। विदित हो कि किरासन तेल की कालाबाजारी रोकने हेतु बार-बार विभागीय निदेश प्राप्त होने के बावजूद श्री बारला द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई पहल/कार्रवाई नहीं की गयी।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-2874, दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर उक्त स्पष्टीकरण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका W.P.(S) No-4991/2011 दायर की गयी।

श्री बारला के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3882, दिनांक 29 अप्रैल, 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-521, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित 15 आरोपों में से आरोप सं०-1, 4, 8, 9, 10, 11 एवं 12 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री बारला के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से इनकी दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8195, दिनांक 02 नवम्बर, 2018 द्वारा श्री बारला से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री बारला के पत्रांक-1/अ०, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री बारला से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से०, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PHILBIUS BARLA BHR/BAS/3245	श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 103 -- 50